मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 8.40 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना में वाहन चालक के 15 पदों के सृजन हेतु ₹50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 14.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद की स्थापना में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के 24 पदों के सृजन तथा 05 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेतु 05 वाहन चालक एवं 06 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेतु 06 वाहन चालक के पदों के सृजन हेतु ₹ 55.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को अन्य भत्ते मद में ₹1629.243 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 16,29,24,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता हेतु ₹ 240.939 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,40,93,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को दूरभाष पर व्यय हेतु ₹ 217.543 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,17,54,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर दुर्ग एवं रायपुर में साफ-सफाई कार्य हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 413.785 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,13,78,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के गणवेश क्रय हेतु ₹ 54.337 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 54,33,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायिक अधिकारियों के अन्य भत्ते मद में ₹ 53.675 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,67,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता हेतु ₹ 9.586 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,58,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायिक अधिकारियों के दूरभाष पर व्यय हेतु ₹5.46 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 12.25 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायिक अधिकारियों के गणवेश क्रय हेतु ₹ 2.66 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

सी.बी.आई. न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के अन्य भत्ते मद में ₹ 3.264 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,26,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

सी.बी.आई. न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को दूरभाष पर व्यय हेतु ₹ 0.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

सी.बी.आई. न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 0.89 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

सी.बी.आई. न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के गणवेश क्रय हेतु ₹ 0.18 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के अन्य भत्ते मद में ₹ 3.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता हेतु ₹ 2.10 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को दूरभाष पर व्यय हेतु ₹ 0.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 1.15 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

कॉमर्शियल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के गणवेश क्रय हेतु ₹ 0.02 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

लॉ इंटर्न के पारिश्रमिक भुगतान हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

राज्य के 22 परिवार न्यायालयों की स्थापना में डिप्टी क्लर्क के 22 पदों के सृजन हेतु ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के अन्य भत्ते मद में ₹ 74.115 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 74,11,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता हेतु ₹ 38.209 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,20,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के दूरभाष पर व्यय हेतु ₹ 17.86900 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 17,86,900 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 11.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के गणवेश क्रय हेतु ₹ 1.98 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 32

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए मतदाता जागरूकता, विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 33

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को अन्य भत्ते मद में ₹ 170.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता हेतु ₹ 17.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा हेतु ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को पुस्तक एवं नियतकालिक पत्रिकाएँ क्रय हेतु ₹ 1.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय मद में ₹ 11.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 11,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारियों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवासगृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 12.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 39

छत्तीसगढ़ राज्य माध्यस्थम अधिकरण में प्रतिस्थापन से 01 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 18.74 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40

परिवार न्यायालय बलौदाबाजार के लिए प्रतिस्थापन से 01 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 41

परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए हल्का वाहन क्रय हेतु ₹ 12.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रतिस्थापन से 01 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रजिस्ट्री अधिकारियों (मिनिस्ट्रीयल) के लिए 10 नग हल्का वाहन क्रय हेतु ₹ 85.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।